



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-24082024-256621
CG-DL-E-24082024-256621

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 3260]

नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, अगस्त 22, 2024/श्रावण 31, 1946

No. 3260]

NEW DELHI, THURSDAY, AUGUST 22, 2024/SHRAVANA 31, 1946

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 22 अगस्त, 2024

का.आ. 3576(अ).—केन्द्रीय सरकार, राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम 1956 (1956 का 48) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 3क की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, यह समाधान हो जाने के पश्चात् कि हिमाचल प्रदेश राज्य के हमीरपुर जिले में NH3 के कि.मी. 105 से कि.मी. 133.1 (SDM, हमीरपुर जिला हमीरपुर) तक के भू-खण्ड के निर्माण (चौड़ीकरण/पेव्ड शोल्डर सहित 2-लेन/4-लेन का बनाना आदि), अनुरक्षण, प्रबन्धन और प्रचालन के लोक प्रयोजन के लिए वह भूमि अपेक्षित है जिसका संक्षिप्त वर्णन नीचे अनुसूची में दिया गया है, ऐसी भूमि का अर्जन करने के अपने आशय की घोषणा करती है।

कोई भी व्यक्ति, जो उक्त भूमि में हितबद्ध है, उक्त अधिनियम की धारा 3ग की उप-धारा (1) के अधीन पूर्वोक्त प्रयोजन के लिए ऐसी भूमि के उपयोग पर राजपत्र में इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से इक्कीस दिन के भीतर अपनी आपत्ति प्रकट कर सकेगा।

ऐसी प्रत्येक आपत्ति सक्षम प्राधिकारी, अर्थात् उपमंडल अधिकारी (सिविल) हमीरपुर को लिखित रूप में प्रस्तुत की जाएगी और उसमें उसके आधार अधिकथित किए जाएंगे और सक्षम प्राधिकारी, आपत्तिकर्ता को व्यक्तिगत रूप में या किसी विधिक पेशेवर द्वारा सुने जाने का अवसर देगा और ऐसी आपत्तियों की सुनवाई के पश्चात् तथा ऐसी और जाँच करने

के पश्चात्, यदि कोई हो, जिसे सक्षम प्राधिकारी आवश्यक समझे, आदेश द्वारा या तो आपत्तियों को अनुज्ञात कर सकेगा या अननुज्ञात कर सकेगा।

उक्त अधिनियम की धारा 3ग की उप-धारा (2) के अधीन सक्षम प्राधिकारी द्वारा किया गया कोई भी आदेश अंतिम होगा।

इस अधिसूचना के अंतर्गत आने वाली भूमि के रेखांक और अन्य व्यौरे सक्षम प्राधिकारी के उक्त कार्यालय में उपलब्ध हैं और उनका हितवद्ध व्यक्तियों द्वारा निरीक्षण किया जा सकता है।

अनुसूची

हिमाचल प्रदेश राज्य के हमीरपुर जिले में NH3 के कि.मी. 105 से कि.मी. 133.1 (SDM, हमीरपुर जिला हमीरपुर) के लिए अर्जन की जाने वाली संरचना रहित अथवा संरचना सहित भूमि का संक्षिप्त विवरण

राज्य का नाम: हिमाचल प्रदेश			जिले का नाम: हमीरपुर		
क्रमिक संख्या	सर्वेक्षण संख्या	भूमि का प्रकार	भूमि की प्रकृति	भूमि का क्षेत्रफल (स्थानीय इकाई)	भूमि का क्षेत्रफल (हेक्टेयर)
1	2	3	4	5	6
तालुक का नाम: हमीरपुर					
गांव का नाम: कसवाड (37/13)					
1	489/1 Min	निजी (प्राइवेट)	वारानी अब्बल	0.0039 (हेक्टेयर)	0.0039
2	497/3 Min	सरकारी (गवर्नमेंट)	गैर मुमकिन नाला	0.0016 (हेक्टेयर)	0.0016
3	508/1 Min	निजी (प्राइवेट)	वारानी अब्बल	0.0028 (हेक्टेयर)	0.0028
4	508/3	निजी (प्राइवेट)	वारानी अब्बल	0.0029 (हेक्टेयर)	0.0029
5	510/1	निजी (प्राइवेट)	वारानी अब्बल	0.0184 (हेक्टेयर)	0.0184
6	511 Min	निजी (प्राइवेट)	गैर मुमकिन सड़क	0.0023 (हेक्टेयर)	0.0023
7	515/1 Min	निजी (प्राइवेट)	वारानी अब्बल	0.0133 (हेक्टेयर)	0.0133
8	516/1 Min	निजी (प्राइवेट)	वारानी अब्बल	0.0234 (हेक्टेयर)	0.0234
9	517/1 Min	निजी (प्राइवेट)	वारानी अब्बल	0.0116 (हेक्टेयर)	0.0116
10	518/1 Min	निजी (प्राइवेट)	बंजर कदीम	0.0026 (हेक्टेयर)	0.0026
11	930	निजी (प्राइवेट)	गैर मुमकिन हैंडपंप	0.0009 (हेक्टेयर)	0.0009
12	931/2 Min	सरकारी (गवर्नमेंट)	गैर मुमकिन नाला	0.0078 (हेक्टेयर)	0.0078
13	932	सरकारी (गवर्नमेंट)	गैर मुमकिन सड़क	0.009 (हेक्टेयर)	0.009
14	933/1 Min	सरकारी (गवर्नमेंट)	गैर मुमकिन नाला	0.0024 (हेक्टेयर)	0.0024

गांव का नाम: खागल (37/14)					
15	1043/804/4/2	निजी (प्राइवेट)	वारानी अब्बल	0.0041 (हेक्टेयर)	0.0041
गांव का नाम: वाहडला (37/3)					
16	1/1 Min	सरकारी (गवर्नमेंट)	गैर मुमकिन नाला	0.0054 (हेक्टेयर)	0.0054
17	128/1	निजी (प्राइवेट)	खडेतार	0.0063 (हेक्टेयर)	0.0063
18	129/2 Min	निजी (प्राइवेट)	बंजर कदीम	0.0257 (हेक्टेयर)	0.0257
19	130/2	निजी (प्राइवेट)	खडेतार	0.005 (हेक्टेयर)	0.005
20	131 Min	निजी (प्राइवेट)	बंजर कदीम	0.0075 (हेक्टेयर)	0.0075
21	132 Min	निजी (प्राइवेट)	वारानी अब्बल	0.0029 (हेक्टेयर)	0.0029
22	138/1 Min	निजी (प्राइवेट)	खडेतार	0.0008 (हेक्टेयर)	0.0008
23	139/1 Min	निजी (प्राइवेट)	खडेतार	0.0034 (हेक्टेयर)	0.0034
24	140/1	निजी (प्राइवेट)	खडेतार	0.0014 (हेक्टेयर)	0.0014
25	140/2 Min	निजी (प्राइवेट)	खडेतार	0.0108 (हेक्टेयर)	0.0108
कुल योग					0.1762

[फा. सं. NHAI/11013/PIU Hamirpur/3(a)/2017/3A]

अभय जैन, निदेशक

MINISTRY OF ROAD TRANSPORT AND HIGHWAYS

NOTIFICATION

New Delhi, the 22nd August, 2024

S.O. 3576(E).—In exercise of powers conferred by sub-section (1) of section 3A of the National Highways Act, 1956 (48 of 1956) (hereinafter referred to as the said Act), the Central Government, after being satisfied that for the public purpose, the land, the brief description of which is given in the Schedule below, is required for building (widening/two lane with paved shoulder/four laning etc.), maintenance, management and operation of NH3 in the stretch of land from Km. 105 to Km. 133.1 (SDM, Hamirpur, Distt. Hamirpur) in the district of HAMIRPUR in the state of HIMACHAL PRADESH, hereby declares its intention to acquire such land.

Any person interested in the said land may, within twenty-one days from the date of publication of this notification in the Official Gazette, object to the use of such land for the aforesaid purpose under sub-section(1) of section 3C of the said Act.

Every such objection shall be made to the Competent Authority, namely, Sub-Divisional Officer (c) Hamirpur in writing and shall set out the grounds thereof and the Competent Authority shall give the objector an opportunity of being heard, either in person or by a legal practitioner, and may, after hearing all such objections and after making such further enquiry, if any, as the Competent Authority thinks necessary, by order, either allow or disallow the objections.

Any order made by the Competent Authority under sub-section (2) of section 3C of the said Act shall be final.

The land plans and other details of the land to be acquired under their notification are available and can be inspected by the interested person at the aforesaid office of the Competent Authority.

SCHEDULE

Brief Description of the land to be acquired with or without structures falling NH3 in the stretch of land from Km. 105 to Km. 133.1 (SDM, Hamirpur, Distt. Hamirpur) in the district of HAMIRPUR in the state of HIMACHAL PRADESH

State: HIMACHAL PRADESH			District: HAMIRPUR		
Sl. No.	Survey/Plot Number	Type of Land	Nature of Land	Area (in Local Unit)	Area (in Hectares)
1	2	3	4	5	6
Taluk: Hamirpur					
Village: Kaswar (37/13)					
1	489/1 Min	Private	Barani Awwal	0.0039 (Hectare)	0.0039
2	497/3 Min	Government	Gair Mumkin Nala	0.0016 (Hectare)	0.0016
3	508/1 Min	Private	Barani Awwal	0.0028 (Hectare)	0.0028
4	508/3	Private	Barani Awwal	0.0029 (Hectare)	0.0029
5	510/1	Private	Barani Awwal	0.0184 (Hectare)	0.0184
6	511 Min	Private	Gair Mumkin Sadak	0.0023 (Hectare)	0.0023
7	515/1 Min	Private	Barani Awwal	0.0133 (Hectare)	0.0133
8	516/1 Min	Private	Barani Awwal	0.0234 (Hectare)	0.0234
9	517/1 Min	Private	Barani Awwal	0.0116 (Hectare)	0.0116
10	518/1 Min	Private	Banjar Kadeem	0.0026 (Hectare)	0.0026
11	930	Private	Gair Mumkin Handpump	0.0009 (Hectare)	0.0009
12	931/2 Min	Government	Gair Mumkin Nala	0.0078 (Hectare)	0.0078
13	932	Government	Gair Mumkin Sadak	0.009 (Hectare)	0.009
14	933/1 Min	Government	Gair Mumkin Nala	0.0024 (Hectare)	0.0024
Village: Khagal (37/14)					
15	1043/804/4/2	Private	Barani Awwal	0.0041 (Hectare)	0.0041
Village: Bahdla (37/3)					
16	1/1 Min	Government	Gair Mumkin Nala	0.0054 (Hectare)	0.0054
17	128/1	Private	Khadetar	0.0063 (Hectare)	0.0063
18	129/2 Min	Private	Banjar Kadeem	0.0257 (Hectare)	0.0257
19	130/2	Private	Khadetar	0.005 (Hectare)	0.005
20	131 Min	Private	Banjar Kadeem	0.0075 (Hectare)	0.0075
21	132 Min	Private	Barani Awwal	0.0029 (Hectare)	0.0029
22	138/1 Min	Private	Khadetar	0.0008 (Hectare)	0.0008
23	139/1 Min	Private	Khadetar	0.0034 (Hectare)	0.0034

24	140/1	Private	Khadetar	0.0014 (Hectare)	0.0014
25	140/2 Min	Private	Khadetar	0.0108 (Hectare)	0.0108
Total					0.1762

[F. No. NHAI/11013/PIU Hamirpur/3(a)/2017/3A]

ABHAY JAIN, Director